न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 84 / 2016 / दावा

1. श्री महन्त बृजमोहन दास जी चेला स्व. श्री रामकिशोर दास जी महाराज निवासी गुमानपुरा पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. रामीदेवी धर्मपत्नि स्व. त्रिलोकाराम
2. जगदीश प्रसाद
3. भींवाराम
4. खेमाराम
5. सीताराम
6. किशोर

पुत्रगण स्व. गणपतराम पुत्र स्व. त्रिलोकाराम

7. पुसाराम
8. सुरजाराम

पुत्रगण स्व. त्रिलोकाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

9. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
10. तहसीलदार, भूमि धारक राजस्थान सरकार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जि0 सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री योगेश कुमार शर्मा वकील वादी की ओर सें।
2. श्री आनन्द राड़ वकील प्रतिवादीगण की ओर सें।

निर्णय

दिनाक :– 17.07.2019

1. प्रतिवादी सं0 1, 3 लगायत 8 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित किया है कि " वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

गुरू श्री रघुवीर दास जी त्यागी जी महाराज को दिनांक 14.04.1976 को प्रतिवादीगण के पति/पिता/दादा ने अपने लड़के की शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1912 रूपये 50 पैसे में दी थी तथा सक्षम गवाहान के हस्ताक्षर भी करवाये थे तथा वादी को यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर उनके नाम सें विक्रय पत्र तस्दीक करवा देंगे।'' उक्त कथन पूर्णतया गलत व जालसाजी पूर्ण दस्तावेज है लेकिन अगर उसको वैकल्पिक रूप सें एक बार सही भी मान लिया जावे तो कानूनन अनुसूचित जाति की कृषि भूमियों बाबत सामान्य, सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी इकरार या लिखावट पूर्णतया शून्य माना जाता है इसलिए भी वादी उक्त तथाकथित लिखावट के आधार पर प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत कर उनको न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमियों में प्रतिबंधित करवा सकता है तथा न ही अनुसूचित जाति की भूमियों में कोई हक अधिकार प्राप्त कर सकता है इसलिए वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही खारिज फरमाया जावे। तथा उक्त इकरार की पालना हेतु वाद माननीय सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार का है अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

2. वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 8 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का विरोध प्रकट करते हुये अपने जवाब में अंकित किया कि वादवर्णित लिखावट पूर्णतया सही है वादी ने अपने वाद में इकरारनामा की पालना बाबत न करके खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है। वादी का 40 वर्षों सें कब्जा चला आ रहा है अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीस के तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ खातेदारी उद्घोषणा चाही गई है जो विधि द्वारा वर्जित है तथा इकरारनामे की पालना का श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय का है अत आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जावे तथा वकील वादी ने जवाब आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीस के तथ्यों को दोहराते हुए कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा हेतु वादपत्र पेश किया जाना बताया तथा आवेदन खारिज करने का आग्रह किया। बहस पर मनन किया गया एवं मूलवाद को पढा जाकर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

वादपत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन सें स्पष्ट है कि वाद में अनुसूचित जाति के खातेदार के खिलाफ खातेदारी उद्घोषणा हेतु दावा पेश किया गया है तथा वादपत्र में चाही गई इस्तदुआ लिखावट दिनांक 14.04.1976 के आधार पर चाही गई है। अतः स्पष्ट है कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर कोस्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

श्री महन्त बृजमोहन दास बनाम रामीदेवी आदि

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं0 84 / दावा सन् 2016 निर्णय दिनांक. 17.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार** आर.ए.एस बहाजरी **श्री योगेश कुमार शर्मा** मिनजानिब मुददई व **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1, 3 लगायत 8 की ओर सें पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.08.2019 को जारी की गई।

17-7-19

दस्तखत ओहदा

मोहर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

अशोक कुमार
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

सहायक कलक्टर फास्टट्रेक दांतारामगढ

Scanned by CamScanner